

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा 02 शातिर चोरों को चोरी के 02 लाख रुपये, 1130**प्रतिबन्धित नशीली गोलियों व आभूषणों सहित किया गिरफ्तार ।**

दिनांक 06.02.2021 को वादी श्री मौ० कासिम पुत्र तहसीन अहमद निवासी मौ० नेजोसराय थाना अफजलगढ ने थाना अफजलगढ पर तहरीर देकर अवगत कराया कि मैं 03 माह से मुंबई में अपने परिवार सहित रहकर काम कर रहा था । दिनांक 05.02.2021 को मुझे फोन पर सूचना मिली कि अफजलगढ मे बंद पडे मेरे घर में ताला तोडकर 4/5 फरवरी की रात्रि में अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर ली है। जिसमें सोना, चाँदी के जेवर एवं आर्टीफिशियल जैवर व 02 लाख रुपये चोरी हुये है। वादी की तहरीर पर थाना अफजलगढ पर मु०अ०सं० 31/21 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया ।

मेरे द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेते हुये थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये । इसी क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये घटना का अनावरण कर चोरी करने वाले अभियुक्त 1- मौ० याकूब उर्फ मुन्ना पुत्र अब्दुल वहीद 2- सोहेब पुत्र मौ० साजिद को दिनांक 06.02.2021 को समय 16.30 बजे सरकारी अस्पताल अफजलगढ के निकट 11:30 प्रतिबन्धित नशीली गोलियो सहित गिरफ्तार किया । जिसके सम्बंध में थाना अफजलगढ पर मौ० याकूब के विरुद्ध मु०अ०सं० 32/21 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट व सोहेब के विरुद्ध मु०अ०सं० 33/21 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया ।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त सोहेब उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि मै व मेरा दोस्त मौ० याकूब नशीली गोली एवं सुल्फा का नशा करने के आदी है और हम नशीली गोलियाँ इधर उधर घुमकर पैसे कमाने के लिये बेच भी लेते है । दिनांक 04.02.2021 को हमारे पास पैसे खत्म हो गये । जिस कारण मैने व मेरे दोस्त ने मिलकर पडोस में बेकरी वाले मौ० कासिम के यहाँ चोरी करने की योजना बनाई क्योकि हमे पता था कि बेकरी वाला मौ० कासिम अपने परिवार के साथ 3-4 महीने से मकान बंद करके मुम्बई चला गया था । बनाई योजना के अनुसार दिनांक 04/05.02.2021 की रात्रि कासिम के गेट के बराबर में लगी खिडकी का ताला तोडकर हम दोनो कासिम के मकान में घुस गये और दूसरी मंजिल पर जाकर कासिम के कमरे का ताला तोडकर अन्दर रखे सन्दूक, बक्सा व बरामदे में रखी अलमारी का ताला तोडकर बक्से में रखे लिफाफे में 500-500 के नोटो की चार गडडी एव सोने - चाँदी के आभूषण चोरी करके सभी सामान एक सफेद रंग के थैले में भरकर मेरे कमरे के टाड़ पर रख दिया था। जिसे मिलकर आज बाँटने वाले थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

- 1- मौ० याकूब उर्फ मुन्ना पुत्र अब्दुल वहीद निवासी मौ० बेगम -सराय कस्बा व थाना अफजलगढ बिजनौर
- 2- सोहेब पुत्र मौ० साजिद निवासी मौ० नेजोसराय कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर



बरादमगी का विवरण

- 1- 200000/- रुपये
- 2- 1130 प्रतिबन्धित गोलिया मार्का ALPRAZOLAM TABLETS IP 0.5 MG
- 3- 02 मंगल सुत्र, एक जोडी कुन्डल, एक बाली, नाक की नथनी, 3 लॉग नाक की , एक जोडी कानो के बुन्दे व सात अंगुठी लेडीज सभी पीली धातु ।
- 4- 06 जोडी पाजेब छोटी बडी, 04 अंगुठी जैन्टस, 02 अंगुठी लेडीज सफेद धातु ।
- 5- 02 जेन्टस व 2 लेडीज घडी ।
- 6- 16 हाथो की चुडी, 02 कानो के बुन्दे, एक टीका, एक माला मोती, 2 झुमर सभी आर्टीफिशियल

आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु०अ०सं० 31/21 धारा 457,380 भादवि (नकबजनी) थाना अ०गढ जनपद बिजनौर ।
- 2.मु०अ०सं० 32/21 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम मौ० याकूब उपरोक्त थाना अ०गढ बिजनौर ।
- 3.मु०अ०सं० 33/21 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम सोहेब उपरोक्त थाना अ०गढ जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

प्रभारी निरीक्षक श्री नरेशपाल सिंह, उ०नि० किरनपाल सिंह, का० राहुल कुमार, का० शाकिर खान
पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार राशि: -5000-।

थाना मण्डावर पुलिस द्वारा चोरी किये गये परचून की दुकान का सामान सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 06.02.2021 की रात्रि मे रोविन पुत्र प्रेम कुमार निवासी मौ0 मंगल का बाजार कस्बा/थाना मण्डावर द्वारा थाना मण्डावर पर लिखित तहरीर दी कि वह क्षेत्र मे भिन्न-भिन्न कस्बो मे साप्ताहिक बाजार मे जाकर परचूनी सामान को फड लगाकर बेचता है दिनांक 05.02.2021 की रात्रि उसके घर के गैराज मे ट्राली मे भरा सामान को कस्बे के ही 1- फैजान पुत्र अब्दुल हफिज 2- अजीम पुत्र शमीम निवासीगण मौहल्ला बंजारान 3-यासर पुत्र शाहिद निवासी मौ0 कस्साबान को चोरी करते समय हमारे पडोस मे ही रहने वाले प्रिंस पुत्र प्रेमकुमार व शहबाज पुत्र राशिद ने सामान ले जाते समय देखा था। सूचना पर थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 22/21 धारा 379,411 भादवि बनाम फैजान, अजीम व यासर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

मेरे द्वारा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व चोरी के सामान की शीघ्र बरामदगी हेतु थाना मण्डावर पुलिस को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम मे थाना मण्डावर पुलिस द्वारा अभियुक्त फैजान व यासर उपरोक्त को ग्राम दयालवाला से जनता की मदद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण की निशादेही पर चोरी का सामान बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त फैजान व यासर द्वारा पूछताछ मे बताया कि उन्होने अपने साथी अजीम के साथ मिलकर रोबिन के गैराज मे खडी ट्राली से परचून का सामान चोरी किया था जिसे हम लोग नारायणपुर साप्ताहिक बाजार मे बेचने ले जा रहे थे कि आप लोगो ने पकड लिया। इनका साथी फैजान उपरोक्त अभी फरार है जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमे लगातार दबिश दे रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

- 1-फैजान पुत्र अब्दुल हफिज निवासी मौहल्ला बंजारान कस्बा व थाना मण्डावर बिजनौर
- 2- यासर पुत्र शाहिद निवासी मौ0 कस्साबान कस्बा व थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

फरार अभियुक्त का नाम व पता

- 1- अजीम पुत्र शमीम निवासी मौहल्ला बंजारान कस्बा व थाना मण्डावर जनपद बिजनौर



बरामदगी का विवरण

- | | |
|----------------------------|---|
| 1- काली मिर्च 500 ग्राम | 12- हल्दी साबुत 05 कि०ग्रा० |
| 2- जायफल 500 ग्राम | 13- चाय 05 कि०ग्रा० |
| 3- इलायची 1.5 कि०ग्रा० | 14- सोढ 250 ग्राम |
| 4- दाल मसूर 30 कि०ग्रा० | 15- सौंफ 04 कि०ग्रा० |
| 5- धनिया 06 कि०ग्रा० | 16- मेथी 1.5 कि०ग्रा० |
| 6- अजवाइन 01 कि०ग्रा० | 17 -कलौंजी 01 कि०ग्रा० |
| 7- लौंग 500 ग्राम | 18- जावित्री 250 ग्राम |
| 8- पीपल 250 ग्राम | 19- बाटमाप लोहा |
| 9- राई 100 ग्राम | 20- 01 कि०ग्रा०, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, |
| 10- गर्म मसाला 02 कि०ग्रा० | |
| 11-दाल चीनी 1.5 कि०ग्रा० | |

पुलिस टीम का विवरण

1.प्र०नि० श्री मनोज कुमार, 2.वरि०उ०नि० श्री श्रीपाल सिंह, 3.उ०नि० श्री शहजाद अली, 4.का० 965 विपिन कुमार, 5.का० 1474 डालडा शमा, 6.का० 2014 नितिन कुमार

थाना कोतवाली देहात:-थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त विकास कुमार पुत्र जय सिंह निवासी ग्राम दौलताबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



जनपद बिजनौर दिनांक 07-02-2021



आज दिनांक **07.02.2021** को थाना कोतवाली शहर की एंटी रोमियो टीम द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये “मिशन शक्ति” के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में छात्राओ/महिलाओ को जागरूक किया और हैल्पलाईन नंबर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** आदि व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया तथा भीडभाड वाले स्थानो बाजारो में मंचलो पर शिकंजा कसा ॥



